जिला पन्चायत, कानपुर देहात

31 मार्च, 1994 ई०

सं० 2575–77/23—29–93–94—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 239 (1) की उपधारा (ङ) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला परिषद्, कानपुर देहात ने अपने प्रबन्ध के अन्तर्गत कानपुर देहात के ग्रामीण क्षेत्रों में क्षोभकर व्यवसाय, कारखाना/फैक्ट्री को नियन्त्रित तथा विनियमित करने के उद्देश्य से उपविधियां बनायी गयी हैं, उनकी पुष्टि किए जाने के पश्चात् उक्त अधिनियम की धारा–242 (2) के प्रयोजनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं।

उपविधियां

1—(1) यह उपविधियां जिला परिषद्, कानपुर देहात फैक्ट्री उपविधियां कहलायेंगी।

(2) यह उपविधियां जिला परिषद्, कानपुर देहात के समस्त ग्रामीण क्षेत्र के सभी वर्तमान और भविष्य में लगने वाली फैक्ट्रियों को नियंत्रित करेंगी।

(3) आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर द्वारा पुष्टि होने एवं तत्पश्चात् गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

2—परिभाषाएं—(1) "ग्रामीण क्षेत्र" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 2 (10) में यथा परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र से है।

(2) "फैक्ट्री" का अर्थ ऐसे भवन और उसकी सेवाओं तक की भूमि से है, जिसके किसी भाग में किसी वस्तु के उत्पादन क्रिया सम्बन्धी रीति में शक्ति व उपयोग किया जाता हो।

3—कोई भी व्यक्ति/प्रतिष्ठान का मालिक अथवा साझेदार फैक्ट्री तब तक नहीं चला सकेगा जब तक उसने निर्धारित शुल्क जिला परिषद् में जमा करके लाइसेन्स प्राप्त न कर लिया हो।

4—किसी फैक्ट्री के मालिक को इस आधार पर कि उसने अन्य किसी निकाय अथवा संस्था अथवा सरकारी विभाग से अनुज्ञा पत्र/लाइसेन्स प्राप्त कर लिया हो तो जिला परिषद् से लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं है, की छूट प्रदान नहीं की जायेगी। यदि फैक्ट्री ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत है तो उसे प्रत्येक दशा में जिला परिषद् से लाइसेन्स लेना अनिवार्य होगा।

5—इन उपविधियों के अधीन लाइसेन्स पाने वाले व्यक्ति को पड़ोस के निवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा आदि के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा—

(क) चिमनी की ऊंचाई पड़ोस की सबसे ऊंची इमारत से 5 मीटर से कम ऊंचाई अथवा स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित ऊंचाई की चिमनी पर्यावरण प्रदूषित होने से रोकने के उद्देश्य से लगाना अनिवार्य होगा। परन्तु कोयले की छोटी भट्ठी के लिये चिमनी की कोई आवश्यकता नहीं होगी। पर भट्ठी आबादी से लगभग एक फर्लांग दूर लगायी जायेंगी।

(ख) साधारण शोरगुल रोकने के लिए फैक्ट्री में अहाते में शोरगुल रोकने वाले यंत्र (साइलेन्सर) को जहां आवश्यक हो लगाया जाना चाहिए, लगाना होगा।

(ग) फैक्ट्री में 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को काम करने की आज्ञा न दी जायेगी।

(घ) फर्श की नालियां व शीरा भरने के तालाब को पक्का होना चाहिए तथा उसकी ठीक मरम्मत होती रहे। प्रयोग किये हुये पानी को बाहर निकालने के लिये ऐसी नालियां बनाई जायें जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अपेक्षित हो।

(ङ) लाइसेन्स अधिकारी के संतोषानुसार फैक्ट्री का अहाता सभी समय स्वच्छ स्वास्थ्यप्रद एवं ठीक अवस्था में रखा जाना चाहिये।

(च) ऐसे व्यक्ति को फैक्ट्री में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जो किसी छूत, संक्रामक अथवा घृणाप्रद रोग से ग्रस्त हो।

6—अपर मुख्य अधिकारी अथवा उनके द्वारा प्रतिनिहित कोई अधिकारी लाइसेन्सिंग अधिकारी होगा।

उपविधि में वर्णित दण्ड के अतिरिक्त किसी भी धारा के बार-बार उल्लंघन करने पर लाइसेन्स अधिकारी को लाइसेन्स रद्द अथवा निलम्बित करने का अधिकार होगा।

7—लाइसेन्सिंग अधिकारी के निर्णय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे निर्णय के दिनांक से 15 दिन के अन्दर अध्यक्ष जिला परिषद्, कानपुर देहात के यहां अपील कर सकेगा और अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

8—लाइसेन्स अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी। लाइसेन्स का समय से नवीनीकरण न कराने पर 10 रुपये प्रतिदिन जुर्माना देकर लाइसेन्स का नवीनीकरण कराया जा सकेगा। नवीनीकरण की फीस वही होगी जो लाइसेन्स फीस की धनराशि होगी।

9—उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव सोसाइटी अथवा उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत समितियां

... उद्योग फीस को आधी फीस की छूट प्रदान की जायेगी।

10--लाइसेन्स फीस की दरें निम्न होंगी। जिन्हें जमा करने पर जिला परिषद् से लाइसेन्स पाने का हकदार होगा।

		रु०	
(1)	ह्यूमपाइप अथवा स्टील रोलिंग पाइप इण्डस्ट्रीज	3000.00	प्रतिवर्ष
(2)	सरिया बनाने का कारखाना/फैक्ट्री	4000.00	,,
(3)	पंखा/सिलाई मशीन बनाने का कारखाना/फैक्ट्री	3000.00	प्रतिवर्ष
(4)	जूट, सन, प्लास्टिक, साइलोन की वस्तुएं बनाने का कारखाना	5000.00	,,
(5)	गैस भरने की फैक्ट्री	5000.00	,,
(6)	आइस फैक्ट्री	3000.00	,,
(7)	कोल्ड स्टोरेज	4000.00	,,
(8)	दवा की फैक्ट्री (केमिकल)	4000.00	,,
(9)	खाद्य, तेल अथवा दाल मिल	4000.00	,,
(10)	खांडसारी अथवा छोटे पैमाने पर चीनी का कारखाना	2500.00	,,
(11)	राइस मिल अथवा फ्लोर मिल	2500.00	,,
(12)	अन्य ऐसे कारखाने जो अश्वशक्ति (विद्युत् अथवा आयल के संचालित हों)		
	अ--11 से 50 अश्वशक्ति पर	1000.00	,,
	ब--51 से 100 अश्व शक्ति	2000.00	,,
	स--101 से 200 अश्व शक्ति	3000.00	,,
	द--200 अश्व शक्ति या उससे अधिक पर	4000.00	,,
(12)	इलेक्ट्रानिक उद्योग टी०वी० फ्रिज आदि अन्य उपकरणों से सम्बन्धित फैक्ट्री	5000.00	,,
(13)	बिना आयल इंजन तथा विद्युत् मोटरों से संचालित अन्य प्रकार की फैक्ट्रियां, मिलों, उद्योगों व अन्य ऐसी संस्थाओं	3000.00	,,
(14)	साइकिल, डिब्बा, ताला, बाल्टियां आदि बनाने का कारखाना	4000.00	,,
(15)	सीमेन्ट फैक्ट्री	4000.00	,,
(16)	पेन्ट बनाने का कारखाना	2500.00	,,
(17)	स्कूटर/मोपेड/मोटर साइकिल बनाने का कारखाना	5000.00	,,
(18)	घी, तेल, डालडा बनाने का कारखाना	5000.00	,,
(19)	निषिद्ध लकड़ी को छोड़कर कोयला भट्ठी कार्य	1000.00	,,

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 240 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला परिषद्, कानपुर देहात यह आदेश देती है कि इन उपविधियों का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो रु० 250 (दो सौ पचास) मात्र तक होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो प्रथम दोष सिद्ध के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाय कि अपराधी अपराध करता चला आ रहा है, 10 रुपया (दस रुपया) मात्र प्रतिदिन हो सकेगा अथवा अर्थदण्ड का भुगतान न किया तो कारावास से दण्डनीय होगा, जो तीन मास तक हो सकेगा।

नागिन्दर सिंह,
आयुक्त,
कानपुर मण्डल, कानपुर।

पी०एस०यू०पी०--9 हिन्दी गजट, भाग--3 1994 ई०।

मुद्रक और प्रकाशक--निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, कानपुर देहात

CamScanner

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 2 अगस्त, 2014 ई0 (श्रावण 11, 1936 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का कोड–पत्र, खण्ड–क–नगरपालिका परिषद, खण्ड–ख–नगर पंचायत, खण्ड–ग– निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड–घ– जिला पंचायत।

खण्ड–घ– जिला पंचायत

28 जून, 2014 ई0

सं0 2531/23–2/2013–141–1–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, कानपुर देहात द्वारा पूर्व से दुकान लाइसेन्स उपविधि नियन्त्रित एवं नियमित करने के उद्देश्य से प्रचलित है। जो विज्ञप्ति संख्या 917/तेइस–6–2001–02, दिनांक 25 जनवरी, 2003 द्वारा लागू है। दुकान लागू उपविधि के अतिरिक्त 29 नये व्यवसाइयों को क0 सं0 82 के पश्चात् सम्मिलित किये गये है। वित्तीय वर्ष में 30 अप्रैल तक ला0 शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। 30 अप्रैल के पश्चात् लागू उपविधि में विलम्ब शुल्क 25 प्रतिशत प्रतिमाह लागू था। परन्तु विलम्ब शुल्क अधिक होने के कारण विलम्ब शुल्क में प्रतिमाह 10 प्रतिशत संशोधन प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित संशोधन गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

स्तम्भ– 1			स्तम्भ– 2		
क0 स0	वर्तमान दरें	रुपया	क0 स0	संशोधित दरें	रुपया
1	2	3	1	2	3
1	कपड़ा की फुटकर दुकान	100	1	कपड़ा की फुटकर दुकान	300
2	कपड़ा की स्थायी दुकान	300	2	कपड़ा की स्थायी दुकान	500
3	परचून की दुकान	100	3	परचून की दुकान	500
4	हलवाई की दुकान	100	4	हलवाई की दुकान	300
5	होटल /ढाबा	1000	5	होटल /ढाबा	1500
6	इमारती लोहे की दुकान	300	6	इमारती लोहे की दुकान	500
7	बिना आरामशीन लकड़ी की दुकान	300	7	बिना आरामशीन लकड़ी की दुकान	500
8	लकड़ी आरामशीन सहित दुकान	500	8	लकड़ी आरामशीन सहित दुकान	1000
9	बांस बल्ली की दुकान	300	9	बांस बल्ली की दुकान	500
10	चमडे के जूते चप्पल की दुकान	200	10	चमडे के जूते चप्पल की दुकान	500
11	रबड प्लास्टिक एंव कपडे के जूते चप्पल आदि की दुकान	100	11	रबड प्लास्टिक एंव कपडे के जूते चप्पल आदि की दुकान	300
12	गल्ले की दुकान आढ़त	1000	12	गल्ले की दुकान आढ़त	2000
13	गल्ले का व्यवसाय खरीद फरोख्त	300	13	गल्ले का व्यवसाय खरीद फरोख्त	600
14	फट्टा डालकर गल्ले का कार्य	100	14	फट्टा डालकर गल्ले का कार्य	150
15	किराना की अस्थायी दुकान	200	15	किराना की अस्थायी दुकान	300
16	किराना की स्थायी दुकान	300	16	किराना की स्थायी दुकान	500
17	बर्तन की दुकान पीतल कस्कुट आदि की दुकान	300	17	बर्तन की दुकान पीतल कस्कुट आदि की दुकान	500
18	अल्यूमिनियम बर्तन की दुकान	100	18	अल्यूमिनियम बर्तन की दुकान	300

CamScanner

19	कपड़े की थोक दुकान	500	19	कपड़े की थोक दुकान	1000
20	सोने चाँदी आभूषण बनाने की दुकान (सुनारी कार्य)	300	20	सोने चाँदी आभूषण बनाने की दुकान (सुनारी कार्य)	500
21	सोने चाँदी आभूषण बनाने की दुकान	500	21	सोने चाँदी आभूषण बनाने की दुकान	100
22	पुस्तक कॉपी स्टेशनरी की दुकान	200	22	पुस्तक कॉपी स्टेशनरी की दुकान	500
23	मेडिकल स्टोर दवाईयां डाक्टर/वैद्य की दुकान	300	23	मेडिकल स्टोर दवाईयां डाक्टर/वैद्य की दुकान	500
24	चाय पकौड़ी, पान, बीड़ी, सिगरेट कम्पट, बिस्कुट पान मसाला की दुकान	100	24	चाय पकौड़ी, पान, बीड़ी, सिगरेट कम्पट, बिस्कुट पान मसाला की दुकान	300
25	लकड़ी के टाल की दुकान	500	25	लकड़ी के टाल की दुकान	600
26	कोयले की दुकान	200	26	कोयले की दुकान	300
27	पेट्रोल या डीजल पम्प	2000	27	पेट्रोल या डीजल पम्प	4000
28	पेट्रोल या डीजल डीलर	1000	28	पेट्रोल या डीजल डीलर	1500
29	डीजल या मिट्टी तेल की दुकान	500	29	डीजल या मिट्टी तेल की दुकान	800
30	साइकिल या साइकिल पुर्जे की दुकान	500	30	साइकिल या साइकिल पुर्जे की दुकान	800
31	साइकिल मरम्मत की दुकान	100	31	साइकिल मरम्मत की दुकान	300
32	जनरल मर्चेन्ट, होजरी रेडीमेड कपड़े की दुकान	300	32	जनरल मर्चेन्ट, होजरी रेडीमेड कपड़े की दुकान	500
33	बिसात खाने की दुकान	100	33	बिसात खाने की दुकान	300
34	कृषि सम्बन्धी मशनरी की दुकान	500	34	कृषि सम्बन्धी मशनरी की दुकान	800
35	बिजली की मोटर बल्बतार, लैम्प आदि की दुकान जहाँ पर बिजली से सम्बन्धित सामान बेचे जाते है।	300	35	बिजली की मोटर बल्बतार, लैम्प आदि की दुकान जहाँ पर बिजली से सम्बन्धित सामान बेचे जाते है।	500
36	घी व तेल की दुकान	200	36	घी व तेल की दुकान	500
37	घड़ी, चश्मा, स्टोर, पेट्रोमैक्स, लाउडस्पीकर आदि का सामान एवं मरम्मत की दुकान	200	37	घड़ी, चश्मा, स्टोर, पेट्रोमैक्स, लाउडस्पीकर आदि का सामान एवं मरम्मत की दुकान	300
38	गैस या बिजली से वेल्डिंग की दुकान	200	38	गैस या बिजली से वेल्डिंग की दुकान	400
39	ट्रक, ट्रैक्टर, टैम्पो, कार आदि के टायर टयूब की रिट्रेडिंग व मरम्मत की दुकान	500	39	ट्रक, ट्रैक्टर, टैम्पो, कार आदि के टायर टयूब की रिट्रेडिंग व मरम्मत की दुकान	700
40	हेयर कटिंग सैलून की दुकान	100	40	हेयर कटिंग सैलून की दुकान	200
41	फोटोग्राफर या फोटोस्टेट की कॉपी की दुकान	200	41	फोटोग्राफर या फोटोस्टेट की कॉपी की दुकान	300
42	फल की दुकान	100	42	फल की दुकान	300
43	साग सब्जी की दुकान	50	43	साग सब्जी की दुकान	200
44	टेलरिंग की दुकान एक से दो मशीन दो से अधिक मशीन	100	44	टेलरिंग की दुकान एक से दो मशीन दो से अधिक मशीन	300,500
45	ट्रक, ट्रैक्टर, लारी, मोटरकार, स्कूटर, मोटर साइकिल, मोटर आदि की मरम्मत की दुकान	300	45	ट्रक, ट्रैक्टर, लारी, मोटरकार, स्कूटर, मोटर साइकिल, मोटर आदि की मरम्मत की दुकान	600
46	रासायनिक खाद की एजेन्सी	1000	46	रासायनिक खाद की एजेन्सी	1500
47	रासायनिक खाद की दुकान	200	47	रासायनिक खाद की दुकान	500
48	सीमेन्ट एजेन्सी	1000	48	सीमेन्ट एजेन्सी	1500

CamScanner

49	मौरंग बालू चूना, गिट्टी, पत्थर, सीमेन्ट तथा सामान सेनेटरी फिटिंग के कार्य में आने वाले सामान की दुकान	500	49	मौरंग बालू चूना, गिट्टी, पत्थर, सीमेन्ट तथा सामान सेनेटरी फिटिंग के कार्य में आने वाले सामान की दुकान	700
50	खली, चूनी, भूसा की दुकान	100	50	खली, चूनी, भूसा की दुकान	300
51	टेन्ट सामियाना काकरी के बर्तन मेंज, कुर्सी आदि किराये पर उठाने की दुकान	500	51	टेन्ट सामियाना काकरी के बर्तन मेंज, कुर्सी आदि किराये पर उठाने की दुकान	1000
52	बैण्डबाजा वाले की दुकान	300	52	बैण्डबाजा वाले की दुकान	500
53	आतिशबाजी की दुकान	300	53	आतिशबाजी की दुकान	500
54	गुड़ की दुकान	100	54	गुड़ की दुकान	300
55	गैस बत्ती, लाउडस्पीकर जनरेटर आदि किराये पर उठाने की दुकान	300	55	गैस बत्ती, लाउडस्पीकर जनरेटर आदि किराये पर उठाने की दुकान	500
56	दूध खोया की दुकान	100	56	दूध खोया की दुकान	300
57	कुल्फी आइस्कीम कैण्डी बर्फ आइस्कीम की दुकान	100	57	कुल्फी आइस्कीम कैण्डी बर्फ आइस्कीम की दुकान	300
58	लस्सी शर्बत व शीतल पेयजल की दुकान	100	58	लस्सी शर्बत व शीतल पेयजल की दुकान	300
59	लाण्ड्री	100	59	लाण्ड्री	500
60	लोहे की दुकान जिसमें ताला चाभी रेती नटबोल्ट, सिटकनी, जंजीर कीलकाटा खुर्पी, फडुआ आदि बेचे जाते है।	300	60	लोहे की दुकान जिसमें ताला चाभी रेती नटबोल्ट, सिटकनी, जंजीर कीलकाटा खुर्पी, फडुआ आदि बेचे जाते है।	500
61	फेरी की दुकान	100	61	फेरी की दुकान	150
62	टीन के बॉक्स, टीन के चादरे, कड़ाई, बाल्टी, बाल्टा आदि की दुकान	500	62	टीन के बॉक्स, टीन के चादरे, कड़ाई, बाल्टी, बाल्टा आदि की दुकान	800
63	रेडियो ट्रांजिस्टर मरम्मत की दुकान व रेडियो ट्रांजिस्टर बिक्री की दुकान	100	63	रेडियो ट्रांजिस्टर मरम्मत की दुकान व रेडियो ट्रांजिस्टर बिक्री की दुकान	500
64	फर्नीचर की दुकान जिसमें सोफा सेट, कुर्सी, चौकी, पावा, लकड़ी के दरवाजे खिड़की तथा बेन्च आदि की बिक्री होती है।	300	64	फर्नीचर की दुकान जिसमें सोफा सेट, कुर्सी, चौकी, पावा, लकड़ी के दरवाजे खिड़की तथा बेन्च आदि की बिक्री होती है।	1000
65	सभी प्रकार के बीज भंडार	100	65	सभी प्रकार के बीज भंडार	300
66	गांजा भांग ताड़ी की दुकान	1000	66	गांजा भांग ताड़ी की दुकान	1200
67	राब की दुकान	2000	67	राब की दुकान	3000
68	काकरी की दुकान	100	68	काकरी की दुकान	3000
69	रस्सी, बान, सुतली, निवार, बीरा, मूंज, टाट पट्टी की दुकान	200	69	रस्सी, बान, सुतली, निवार, बीरा, मूंज, टाट पट्टी की दुकान	300
70	खैनी पीनी तम्बाकू की दुकान	100	70	खैनी पीनी तम्बाकू की दुकान	300
71	खड़खड़ा, इक्का, तांगा गाड़ी के सामान बनाने व मरम्मत की दुकान	200	71	खड़खड़ा, इक्का, तांगा गाड़ी के सामान बनाने व मरम्मत की दुकान	500
72	कोल्ड स्टोर (शीतगृह)	5000	72	कोल्ड स्टोर (शीतगृह)	8000
73	कपड़ा रंगाई छपाई की दुकान	200	73	कपड़ा रंगाई छपाई की दुकान	300
74	प्रिंटिग प्रेस	500	74	प्रिंटिग प्रेस	800
75	लोहारी की दुकान	50	75	लोहारी की दुकान	150

CamScanner

76	चावल व चूरा बनाने का कारखाना एवं पालेसर मशीन	300	76	चावल व चूरा बनाने का कारखाना एवं पालेसर मशीन	1000
77	सिनेमाघर	500	77	सिनेमाघर	1500
78	फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी	200	78	फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी	500
79	मोबिऑयल की दुकान	250	79	मोबिऑयल की दुकान	500
80	सीमेन्ट की दुकान	500	80	सीमेन्ट की दुकान	700
81	ऑटोपार्ट्स	300	81	ऑटोपार्ट्स	800
82	अन्य दुकाने/व्यवसाय जो उपरोक्त वर्गीकरण में नही आती है	100	82	अन्य दुकाने/व्यवसाय जो उपरोक्त वर्गीकरण में नही आती है	500
			83	मोटर कार एजेन्सी	10000
			84	मोटर, साइकिल, स्कूटर स्कूटी एजेन्सी	5000
			85	ट्रैक्टर एजेन्सी	10000
			86	पैथोलॉजी सेन्टर	1000
			87	ट्रॉन्सपोर्ट/एजेन्सी कम्पनी	3000
			88	धर्मकॉटा	1000
			89	नर्सिंगहोम/जच्चा बच्चा केन्द्र/चिकित्सालय (10 बेड तक) (प्राईवेट)	3000
			90	ब्यूटीपार्लर	500
			91	टेलीकॉम सेन्टर/मोबाईल बिक्री एवं मरम्मत आदि की दुकान	1000
			92	कम्प्यूटर ट्रेनिंग सेन्टर/इन्टरनेट कैफे सेन्टर	1000
			93	डेरी फार्म/डेरी उत्पादन सम्बन्धी खाद्य वस्तुओ की बिक्री	2000
			94	पोल्ट्रीफार्म	1000
			95	पम्पिंगसेट/डीजल इंजन आदि डीलर एजेन्सी	3000
			96	गेस्टहाउस	5000
			97	कन्ट्रक्शन कम्पनी/बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	5000
			98	चार पहिया वाहन सर्विस सेन्टर	1000
			99	ब्रेकरी	1000
			100	सभी प्रकार के होर्डिंग बैनर आदि बनाने की दुकान	2000
			101	इन्टरलाकिंग टाइल्स निर्माण व बिक्री का कार्य	2000
			102	ट्रैवल्स एजेंसी	1000
			103	वेयर हाउस /बहुउपयोगी गोदाम	5000
			104	मोबाईल टॉवर	5000
			105	डिस्क ऑपरेटर	2000
			106	खोया भट्ठी	500
			107	नर्सरी फार्म	500
			108	नल बोरिंग की दुकान	500
			109	गैस एजेन्सी	3000
			110	रेस्टोरेन्ट	5000

CamScanner

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एंव जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इस उपविधियो का उल्लंघन करेगा वह अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा जो अंकन रू0 1000,00 तक होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डित होगा जो प्रथम दोष सिद्ध के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिनके बारे में अनराधी अपराध करता रहा है रू0 50,00 प्रतिदिन का अर्थदण्ड हो सकेगा अथवा अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारवास से दण्डित किया जायेगा / जो तीन माह तक हो सकेगा ।

मोहम्मद इफ्तेखारूददीन
आयुक्त
कानपुर मंडल कानपुर

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित

for अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, कानपुर [illegible]